Latest updated in 16th, October, 2017

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

साक्षात्कार/अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश

(आवेदक इन निर्देशों को अपने पास रख लें)

1. **आवेदन–पत्र शुल्कः–** अभ्यर्थी 50 रुपये के विस्तृत आवेदन–पत्र शुल्क हेतु तदनुरूप भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न करें। यदि अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है, तो आयोग में नकद राशि भी जमा करा सकते हैं।

2. **आवेदन–पत्र भरनाः–** आवेदक आवेदन–पत्र भरने से पूर्व इन निर्देशों एवं विज्ञापन को ध्यान पूर्वक पढ़ें। इनमें दी गई सूचना एवं निर्देशों का अनुपालन न करने पर आवेदन–पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।

नोट :–**आवेदक आवेदन–पत्र स्वयं के हस्तलेख में भरें। आवेदन–पत्र निर्देशानुसार व बिना किसी प्रकार की काट–छाँट के भरा जाए। प्रत्येक कॉलम में चाही गई सूचना पूर्ण एवं स्पष्ट हो। सभी उत्तर शब्दों या अंकों में दिए जाएं, रेखा या बिन्दु के द्वारा नहीं। कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए, अन्यथा आवेदन–पत्र अपूर्ण मानकर रदद् किया जा सकता है। आवेदक के हस्ताक्षर रहित आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिये जाएंगे। आवेदन–पत्र में की गई किसी भी प्रविष्टि के सुधार हेतु प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। समस्त आवश्यक (जैसे शैक्षणिक योग्यता आदि) व विशेष छूट या लाभ के दावे (जैसे आयु सीमा में छूट की हकदारी आदि) सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ आवेदन–पत्र के साथ संलग्न कर अवश्य भेजें। आवेदन पत्र पर अपना पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो (विज्ञापन जारी दिनांक के पश्चात् का खिंचा हुआ) निर्धारित स्थान पर संलग्न कर पूर्ण हस्ताक्षर सहित लगाएं। आवेदक द्वारा किसी भी अवस्था में एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन–पत्र नहीं भेजा जाना चाहिए। आवेदक द्वारा विधिवत् भरा हुआ निर्धारित आवेदन–पत्र, नवीनतम फोटो, आदि के साथ आयोग कार्यालय में आवेदन–पत्र की प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक किसी भी माध्यम से (व्यक्तिशः अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा) पहुँच जाना चाहिये। निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक को सुविधा व सुलभ संदर्भ हेतु भरे हुए आवेदन–पत्र की फोटो प्रति रख लेनी चाहिए।**

3. **प्रमाण–पत्रः–** समस्त आवश्यक व वांछनीय प्रमाणपत्र (शैक्षणिक/आयु/आचरण/जाति/निःशक्तता आदि प्रमाण–पत्र) इस विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ संलग्न कर भेजना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थियों को नियुक्ति का पात्र पद या वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा और न ही इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा। प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियां निम्न क्रमानुसार आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करें:–

(क) योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्रः– (1) आपको अपनी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता की अंक–तालिकाओं के साथ–साथ प्रमाण–पत्रों/उपाधियों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियां भेजनी होगी। यदि किसी परीक्षा, जो आपने उत्तीर्ण की है, की उपाधि प्राप्त नहीं हो, तो संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रोविजनल प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

नोटः– यदि आवेदक पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा उतीर्ण नहीं है और उसकी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या होने वाला है, तो इसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित कॉलम में करे तथा संस्था प्रधान से प्रपत्र–3 प्रमाणित करवाकर संलग्न करे।

(ख) आयु का प्रमाण–पत्रः–

(1) साधारणतया आयोग हाई स्कूल/सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी के प्रमाण–पत्र में दी हुई जन्म दिनांक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है। अतः आवदेक को चाहिए कि वह अपने हाई स्कूल/सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें उसकी जन्म दिनांक का उल्लेख हो, फार्म के साथ संलग्न करें। यदि किसी आवेदक ने इन परीक्षाओं को पास नहीं किया है तो उस हालात में आयोग विद्यालय के प्रमाण–पत्र में उल्लिखित जन्म दिनांक को स्वीकार कर सकता है। इसके लिये आवेदक को चाहिये कि वह अपने विद्यालय के प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें जिसमें कि उसकी जन्म दिनांक के बारे में उल्लेख हो तथा राज्य कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका में दी हुई आयु को प्रमाणित कराकर उद्धृत कर सकता है।

(2) यदि आप निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु के हैं और आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो विज्ञापन में दिये गये आयु संबंधी जिस उपबन्ध के अन्तर्गत छूट चाहते है उस आशय का, यथा राजस्थान सरकार के स्थाई कर्मचारी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/निःशक्त व्यक्ति आदि का स्पष्ट प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ भेजें, अन्यथा इसके अभाव में आयु सीमा में छूट के प्रावधान का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।

आयु संबंधी सामान्य नियम

1. आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य स्वरूप के हैं, किसी पद या परीक्षा विशेष के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं, जिसे संबद्ध विस्तृत विज्ञप्ति में देखा जा सकता है।
2. कतिपय पदों या परीक्षा विशेष के लिए राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर अपवादीय मामलों में 5 वर्ष की छूट दे सकती है। (यह छूट सामान्यतः आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व तक ही छूट संबंधी प्रावधान हो जाने पर मान्य)
3. किसी वर्ग विशेष में निर्धारित छूट उस वर्ग विशेष के लिए रिक्ति में आरक्षित पद विद्यमान होने पर ही प्रदान किये जाएंगे।
4. यदि किसी पद में महिला वर्ग के लिए रिक्ति नहीं है, तो उसे केवल उस पद/वर्ग के लिए निर्धारित सामान्य छूट ही प्रदान की जाएगी। अर्थात् उसे उस वर्ग में पुरूष को देय छूट के अनुरूप ही छूट दी जाएगी।

5. आयु की गणना सामान्यतः विज्ञप्ति के अन्तर्गत आवेदन लेने के अगले वर्ष 1 जनवरी को की जाएगी। कॉलेज शिक्षा के पदों हेतु आयु की गणना विज्ञप्ति के अन्तर्गत आवेदन लेने के वर्ष को ही 1 जुलाई को की जाएगी। स्कूल शिक्षा के पदों हेतु आयु की गणना विज्ञप्ति के अन्तर्गत आवेदन लेने के अगले वर्ष 1 जुलाई को की जाएगी।
6. उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 15 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी(Non Cumulative) है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
7. यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष विशेष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था, तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा, यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।(यह छूट विज्ञप्ति में उल्लिखित होने पर ही मान्य)

(ग) आचरण संबंधी प्रमाण–पत्र :– अभ्यर्थी आवश्यकतानुसार अंतिम शिक्षण संस्था के आचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें–

नोटः– *स्थाई राज्य कर्मचारी को चरित्र संबंधी प्रमाण–पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं हैं लेकिन इसके बदले में स्थाई राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, संलग्न करें।*

(घ) जाति प्रमाण–पत्र :– जो आवेदक राजस्थान की किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के हों, उन्हें चाहिए कि वे इसके प्रमाण स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में निम्न अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें जो कि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व और नवीनतम जारी हो, अन्यथा अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा :–

i. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/ City Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate).
ii. Chief presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
iii. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
iv. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.
v. Administrator/Secretary to Administrator/ Development Officers (Lakshadeep Island).

नोटः– **(अ)** सभी आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है।

(ब) जो आवेदक पिछड़ा वर्ग के हों, वे उक्त अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के संबंध में यह भी सुनिश्चित कर लें कि

- निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र पर सही–सही एवं पूर्ण भरी गई हैं।
- क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी हेतु निर्धारित पद व आवेदन–पत्र पर आवेदन करना होगा।
- पिछड़ा वर्ग हेतु प्रमाण–पत्र नवीनतम होना चाहिए। आवेदक को आवेदन की अंतिम तिथि तक संबद्ध वर्ग में होना चाहिए।
- प्रमाण पत्र नियमानुसार माता–पिता की आय के आधार पर (विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी माता–पिता की आय के आधार पर) सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।

(ड.) निःशक्तता प्रमाण–पत्रः– यदि आवेदक निःशक्त व्यक्ति (Disabled Person) की श्रेणी में आता है, वह इसके प्रमाण में राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त 40% या इससे अधिक निःशक्तता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर अवश्य भेजें, अन्यथा आयोग द्वारा उसे निःशक्त व्यक्ति की श्रेणी में नही माना जाएगा। आवेदक निःशक्तता श्रेणी अनुसार निम्न कोड भरें–

निःशक्तता श्रेणी	दृष्टिबाधित (A)			मूक बधिर (B)		एल.डी./सी.पी (C)						
निःशक्तता उपश्रेणी	पूर्णतः अंध	अंशतः अंध	कमजोर दृष्टि	पूर्णतः	अंशतः	दोनों पैर	दोनों हाथ	हाथ पैर दोनों	एक पैर	एक हाथ	दोनों नितंब	मांसपेशीय दुर्बलता
निःशक्तता कोड	01	02	03	01	02	01	02	03	04	05	06	07

(च) अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र :– आप यदि कार्यरत हैं/थे, तो उसके प्रमाण में विभिन्न पदों पर कार्य करने का दिनांक सहित प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में वांछित अनिवार्य अनुभव, यदि कोई हो तो उसके सम्बन्ध में चाहा गया स्पष्ट प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ संलग्न कर भेजें।

(छ) विवाह संबंधी प्रमाण–पत्र :– आप यदि विवाहित हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें और यदि तलाकशुदा हैं तो भी इस सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करें। यदि आवेदक का विवाह राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न

होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है या अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व सम्पन्न होने के कारण पंजीकरण से छूट चाहता है, तब भी वह इस हेतु पूर्ण विवरण सहित अपना शपथपत्र प्रस्तुत करे।

4. **सेवारत अभ्यर्थी–** जो आवेदक सेवारत है (स्थाई हो या अस्थाई) उन्हें अपना आवेदन–पत्र सीधे ही आयोग कार्यालय को भेजना चाहिए और इस सम्बन्ध में अपने नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष को अवश्य सूचित कर दें। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन–पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष के माध्यम से भेजता है और वह आयोग कार्यालय में आवेदन–पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक के बाद पहुंचता है तो उस प्रार्थना–पत्र पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। भले ही आवेदक ने प्रार्थना–पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी को अन्तिम दिनांक के पहले ही प्रस्तुत किया हो।

   नोटः– आवेदक का दायित्व होगा की वह साक्षात्कार से पूर्व अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate) प्राप्त कर आयोग कार्यालय को अवश्य भेजें।

5. **राष्ट्रीयता :– (क)** भारत का नागरिक या **(ख)** नेपाल या **(ग)** भूटान का प्रजाजन या **(घ.)** दिनांक 1–1–62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आये तिब्बती शरणार्थी या **(ङ)** स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टंगानिका और जंजीबार) इन देशों से आये भारत के मूल व्यक्ति। **नोटः–** वर्ग **(ख)**, **(ग)**, **(घ)** व **(ङ.)** से सम्बन्धित प्रार्थियों को संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत भारत–सरकार द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
6. **यात्रा भत्ताः–** साक्षात्कार के लिये बुलाये गये राजस्थान के बेरोजगार आवेदकों को उनके निवास स्थान से साक्षात्कार के स्थान तक का साधारण बस का या उनके निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन से सबसे नजदीकी रास्ते द्वारा साक्षात्कार के स्थान तक का द्वितीय श्रेणी के ट्रेन टिकट का किराया दिया जाएगा। (*टिकट प्रस्तुत करें*)
7. आवेदक को आवेदन–पत्र के साथ कोई भी मूल प्रमाण–पत्र नहीं भेजना चाहिए, जब तक कि आयोग द्वारा विशेष रूप से ऐसी माँग नहीं की जाती, अन्यथा किसी के मूल प्रमाण–पत्र को वापस लौटाने का दायित्व आयोग का नहीं होगा।
8. प्रत्येक प्रार्थी का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और उसे किसी प्रकार की चिकित्सकीय परीक्षण हेतु तत्पर रहना होगा जो कि नियुक्ति करने वाला अधिकारी उचित समझें।
9. आयोग किसी भी प्रार्थी को इस प्रकार का परामर्श नहीं देगा कि वह किसी पद या राज्य सेवा के लिये योग्य है या नहीं। ऐसे प्रश्नों यथा– आयु, शिक्षा, नागरिकता, निवास स्थान आदि के विषयों में प्रार्थी स्वयं विज्ञप्ति के साथ संबद्ध सेवा नियमों व राजकीय आदेशों में विस्तृत विवरण देख लें कि वे उसके अनुसार योग्यता रखते हैं या नहीं।
10. आवेदक को उसके आवेदन–पत्र के अन्तिम परिणाम को चाहे उसका चयन किया गया हो अथवा नहीं, आयोग द्वारा उचित समय पर सूचना दे दी जाएगी। इस हेतु पृथक से प्रयत्न करना आवश्यक नहीं है। यदि इस संबंध में कोई पत्र–व्यवहार किया गया तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।
11. यदि आवेदक किसी भी स्रोत या साधन द्वारा आवेदन प्रभावित करेगा, तो उसे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
12. उक्त रिक्ति व नियुक्ति नियमों व शर्तों के अधीन है और उनके अन्तर्गत निरस्त की जा सकती है।
13. यदि कोई आवेदक जानबूझ कर असत्य बात लिखेगा या कोई तथ्यपूर्ण बात छिपाएगा, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और यदि राज्य सेवा में है, तो सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
14. यदि आवेदक के पते में परिवर्तन हो तो आयोग कार्यालय को अवश्य सूचित करें। आयोग कार्यालय द्वारा परिवर्तित पते का ध्यान रखा जाएगा फिर भी परिवर्तित पते पर पत्र मंगवाने की व्यवस्था के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
15. किसी सेवा विशेष मे आवश्यकता होने पर सेवा प्राथमिकता क्रम, अनुभव या खेल भार हेतु अतिरिक्त पपत्र भरवाये जा सकते हैं, इसके लिये संबद्ध विज्ञप्ति का अवलोकन कर लें ।

*****